CUK/ACAD-IV/F-3504/1/2025-26/1076/303 31 दिसंबर, 2025

परिपत्र

विषय: मूल्यांकन वर्ष 2025-26 के लिए सम सेमेस्टर के छात्रों के लिए शुल्क अधिसूचना।

संदर्भ: माननीय कुलपति का अनुमोदन दिनांक 16/12/2025

सम सेमेस्टर छात्र यूजी (IV, VI, VIII और X आईएमएससी), पीजी II और IV और पीएचडी के (विषम और सम सेमेस्टर, 2020, 2021, 2022 2023 और 2024 बैच) कार्यक्रमों को संलग्न शुल्क संरचना के अनुसार शुल्क का भुगतान करने के लिए सूचित किया जाता है।

शुल्क का भुगतान निम्नलिखित लिंक का उपयोग करके किया जाना चाहिए (https://cuk.samarth.edu.in/index.php/site/login) कर्नाटक केंद्रीय विश्वविद्यालय के प्रोजेक्ट समर्थ पोर्टल के माध्यम से, विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर उपलब्ध है।

शुल्क भुगतान की अंतिम तिथि बिना किसी दंड के 31 जनवरी, 2026 है, जिसके विफल होने पर जुर्माना निम्नानुसार लगाया जाएगा:

a. पहले 10 दिनों के लिए शुल्क का 10% (1 - 10 फरवरी, 2026)
b. अगले 10 दिनों के लिए शुल्क का 20% (11-20 फरवरी 2026)
c. उसके बाद शुल्क का 30% उस महीने की अंतिम तिथि तक जिसमें शुल्क देय है।

सभी विभागों/निदेशकों/समन्वयकों को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि वे छात्रों को जुर्माना से बचने के लिए समय पर शुल्क का भुगतान करने का निर्देश दें।

छात्रों को महत्वपूर्ण निर्देश (ध्यान से पढ़ें और पालन करें):

1. *शुल्क भुगतान के लिए लॉगिन करने के लिए कृपया डेस्कटॉप/लैपटॉप का उपयोग करें (भुगतान के मुद्दों से बचने के लिए) सुनिश्चित करें कि आपकी इंटरनेट कनेक्टिविटी अच्छी होनी चाहिए।*

2. *मोबाइल ब्राउज़र में यूपीआई और क्यूआर स्कैनर कोड के माध्यम से भुगतान न करें, क्योंकि भुगतान के इन तरीकों के माध्यम से भुगतान में समस्याएं हैं।*

3. *किसी भी डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड और इंटरनेट बैंकिंग (राष्ट्रीयकृत बैंक) के माध्यम से भुगतान करें।*

शुल्क भुगतान सफलतापूर्वक पूरा करने के बाद, शुल्क भुगतान रसीद उत्पन्न की जाएगी।

कुलसचिव

कुलसचिव / REGISTRAR
कर्नाटक केन्द्रीय विश्वविद्यालय
Central University of Karnataka
कलबुरगि / KALABURAGI

प्रति,

सभी प्रमुखों/समन्वयकों/निदेशकों को (अनुपालन के लिए अनुरोध है कि अधिसूचना की सामग्री छात्रों तक पहुंचाई जाए।)

प्रति :

1) सभी डीन, निदेशक, शिक्षाविद, अनुसंधान और विकास और आईक्यूएसी
2) परीक्षा नियंत्रक, वित्त अधिकारी, पुस्तकालयाध्यक्ष
3) डीन छात्र कल्याण, छात्रावास वार्डन, केयर टेकर
4) नोडल अधिकारी, समर्थ प्रोजेक्ट
5) ओबीसी, ईओसी, अल्पसंख्यक, ईडब्ल्यूएस प्रकोष्ठ के संपर्क अधिकारी
6) नोडल अधिकारी, सांख्यिकी और छात्रवृत्ति प्रकोष्ठ
7) अनुवाद के लिए राजभाषा अनुभाग
8) सिस्टम अनलिस्ट -विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड करने के लिए
9) संबंधित फ़ाइल